न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 109 / 2013 दायर दिनांक 04.06.2013

उनवान

1. सत्यनारायण पिता घीसा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. रतन पिता घीसा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मु0 शान्ता पुत्री घीसा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. मांगीलाल पिता घीसा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मु0 नारायणी बेवा घीसा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— वादीगण

बनाम

1. रंगलाल पिता शंकर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. बालु पिता शंकर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मु0 कनी बेवा शंकर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. मु0 परथु पिता शंकर पति लहरू (पिता ताराचन्द) जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. मु0 भगु पिता शंकर पति अम्बालाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुजरियाखेडा मजरा जाशमा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6. मांगु खां पिता हसन खां जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. कैलाश पिता हरलाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8. मु0 नारायणी बेवा हर लाल जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9. रमजु खां पिता हसन खां जाति पिनारा आयु वयस्क निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10. तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 12.12.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:59 IST
Reason: SelfAttested

—ःनिर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0 सपठित धारा 88–89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि वह कि ग्राम दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0 नं0 1649 रकबा 1.33 है0, आ0 नं0 1650 रकबा 0.26 है0, आ0 नं0 1651 रकबा 0.23 है0, आ0 नं0 1652 रकबा 0.25 है0, आ0 नं0

1653 रकबा 0.17 है0, आ0 नं0 1654 रकबा 0.16 है0, आ0 नं0 1655 रकबा 0.29 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.69 है0 स्थित है जिसका सम्वत् 2012 की पैमायस का आ0 नं0 1247 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा था। जो सम्वत् 2038 से 2041 तक शंकर मथरा हर लाल पिता देवा तथा घीसा पिता सवाईराम गुर्जर के नाम खातेदारी हक से अंकित थी। इस प्रकार उक्त आराजी में शंकर, मथुरा हर लाल पिता देवा का 1/2 हिस्सा तथा घीसा पिता सवाई राम का 1/2 हिस्सा दर्ज था।

यह कि जैरबहस आराजी के वर्तमान खसरा नं0 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655 वर्तमान पैमायस में अंकित हुए। उक्त आराजीयात के घीसा पिता सवाईराम गुर्जर जो शंकर मथुरा हरलाल पिता देवा के साथ संयुक्त खातेदारी से दर्ज था लेकिन वर्तमान पैमायश में घीसा पिता सवाईराम का नाम हटा दिया है। घीसा जी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण घीसा जी के वारीस है लेकिन वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में घीसा के बजाय वादीगण को संयुक्त खातेदार काश्तकार अंकित नहीं किया है।

यह कि पूर्व के संयुक्त खातेदार शंकरलाल के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण सं0 1 से लगायत 5 है पूर्व के खातेदार मथुरा ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 मांगु खां को विक्रय कर दिया है। इसी प्रकार पूर्व के खातेदार हर लाल ने अपने हिस्सा प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां को विक्रय कर दिया है प्रतिवादी नं0 7 व 8 मृतक हरलाल के वारीस है।

यह कि गत पैमायश के रेवेन्यु रेकार्ड के मुकाबले वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में गत खसरा नम्बर 1247 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा का वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड इस चालु पैमायश में पैमायश के कर्मचारियों की गलती से गलत बना है प्रतिवादीगण नं0 1 से लगायत 5 का हिस्सा 1/3 गलत अंकित हुआ है जबकि 1/6 हिस्सा अंकित होना चाहिए इसी प्रकार मांगु खां पिता हसन खां ने पूर्व के खातेदार मथरा से उसका 1/6 हिस्सा था जिसको खरीद किया है इसलिये मांगु का प्रतिवादी नं0 6 का 1/3 हिस्सा गलत अंकन हुआ है सही हिस्सा 1/6 अंकित होना चाहिए। इसी प्रकार पूर्व के संयुक्त खातेदार हरलाल ने अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां को विक्रय कर दिया इसलिये रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां का 1/6 हिस्सा सही दर्ज है लेकिन प्रतिवादी नं0 7, 8 हर लाल के उत्तराधिकारी है इनका कोई हिस्सा शेष नहीं है फिर भी वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में 1/6 हिस्सा अंकित हो गया जो गलत है। उक्त सभी विवरण से यह घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है कि आराजीयात जैर बहस के वादीगण 1/2 हिस्से से संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण 1 से 5, 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 6 मांगु खां 1/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 9 रमजु का भी 1/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 7 व 8 का रेवेन्यु रेकार्ड में 1/6 हिस्सा गलत अंकित है उसे हटाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार चालू जमाबन्दी में आराजीयात जैरबहस को वादीगण के नाम 1/2 हिस्से से संयुक्त खातेदारी में अंकित कराया जावें।

यह कि आराजीयात जैरबहस पर वादीगण का प्रतिवादीगण नं0 1 से 5 तथा 6 व 9 के साथ संयुक्त कब्जा है। लेकिन जमाबन्दी में वादीगण की हिस्सेदारी अंकित नहीं होने से प्रतिवादीगण वादीगण का संयुक्त कब्जा हटाना चाहते है व संयुक्त कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है। दिनांक 1/5/2013 को भी मौके पर विवाद किया तथा विवादीत आराजीयात को हस्तान्तरित करने की भी धमकी दी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है जिसको रूपयों में पुरा नही किया जा सकेगा व ऐसी क्षति होगी जिसको रूपयों में पुरा आंका भी नही जा सकेगा।

यह कि वादकारण दिनांक 01/03/2015 को पैदा हुआ है व उसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है।

अन्त में प्रार्थना की कि–

पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि विवादीत आराजीयात वाके मौजा दोवनी तह0 कपासन के हल्के बैरूनी की जो वादपत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:55 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कॉलम सं0 1 में वर्णित की गई है के वादीगण 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 1 से 5 तक 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 6 भी 1/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 7 व 8 का नाम चालु जमाबन्दी में से व रेवेन्यु रेकार्ड से हटाया जावे इस प्रकार चालू जमाबन्दी में वादीगण का नाम 1/2 हिस्से से संयुक्त खातेदारी से तथा शेष का अंकन भी उक्त हिस्से अनुसार कराया जावें।

पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावें कि आराजीयात जैरबहस के संयुक्त कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। व संयुक्त उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले। वादीगण का संयुक्त कब्जा नहीं हटावें व विवादित आराजीयात को किसी प्रकार से किसी को हस्तान्तरित नहीं करें। न खुद ऐसा करे न ही परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट से ऐसा करावें।

अन्य अनुतोष वादीगण के पक्ष हो जो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 11.01.2018 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा दिनांक 17.08.2021 को जरिये अधिवक्ता श्री नरेन्द्र दाधीच का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। साक्ष्यवादी में वादी रतनलाल, रतन पिता रामा बैरवा, रतनलाल पिता भैरा सालवी के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। पत्रावली पर जमाबन्दी 2068 से 2071 प्रदर्श–1, साबिक जमाबन्दी 2038–2041 प्रदर्श–2, नकल मिलान शीट प्रदर्श–3 अंकित कराये।

वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि–

1. मौजा दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 1649 रकबा 1.33 है0 आराजी नम्बर 1650 रकबा 0.26 है0 आराजी नम्बर 1651 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 1652 रकबा 0.25 है0 आराजी नम्बर 1653 रकबा 0.17 है0 आराजी नम्बर 1654 रकबा 0.16 है0 आराजी नम्बर 1655 रकबा 0.29 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.69 है0 स्थित है जो चालु रेवेन्यु रेकार्ड में चालु जमाबन्दी में प्रतिवादी सं0 1 से 5 के नाम 1/3 हक की संयुक्त खातेदारी अंकित है। प्रतिवादी नं0 6 मांगु खां पिनारा 1/3 हक की संयुक्त खातेदारी से अंकित है इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 7 कैलाश प्रतिवादी नं0 8 नारायण भी 1/6 हिस्से की संयुक्त खातेदारी से अंकन है प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां भी 1/6 हिस्से की संयुक्त खातेदारी से अंकन है।

2. यह कि आराजी जैरबहस के सम्वत् 2012 की पैमायश के आराजी नम्बर 1247 रकबा 12 बिघा 9 बिस्वा था जो सम्वत् 2038 से 2041 तक शंकर मथरा हरलाल पिता देवा 1/2 की संयुक्त हिस्सेदारी व शेष घीसा पिता सवाईराम गुजर के नाम पर 1/2 संयुक्त हिस्से की संयुक्त खातेदारी से अंकित रही 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार वादीगण 1 से 4 के पिता घीसा जी थे तथा वादी नं0 4 नारायणी के पति थे जिनका इन्तकाल हो गया है वादीगण मृतक घीसा जी के विधिक वारीसान है।

3. जब वर्तमान पैमायस का नया रेकार्ड सम्वत् 2052 में आया तो पुरानी विवादीत आराजी नम्बर 1247 के नये नम्बर चालु 1649, 1650, 1651, 1652, 1654, 1655 कायम हुये इसमें पैमायश के कर्मचारियों की गलती से पुरानी पैमायश की सम्वत् 2038 से 2041 में जो संयुक्त कर्मचारि[illegible]लती से पुरानी पैमायश की सम्वत् 2038 से 2041 में जो संयुक्त खातेदार [illegible] हरलाल पिता देवा 1/2 था उसको नई पैमायश में पुराने [illegible] कायम रखा पुराने लेकिन 1/2 का संयुक्त खातेदार घीसा पिता सवाईराम गुजर 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार था उसकी 1/2 हिस्से की संयुक्त खातेदारी [illegible]ना किसी कारण के हटा दी व सारी विवादीत आराजी वर्तमान पैमायस के संयुक्त खातेदारान प्रतिवादीगण के नाम पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संयुक्त खातेदारी अंकित कर दी वादीगण को इस गलत रेवेन्यु रेकार्ड इन्द्राज का ज्ञान 01/03/2013 हो हुआ तो प्रतिवादीगण ने जब गलत एन्ट्री सुधार करने से मना कर दिया तो वादीगण ने घोषणा का यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

4. पहले के संयुक्त खातेदार शंकरलाल के उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं0 1 से 5 है इसी प्रकार पूर्व के संयुक्त खातेदार मथुरा अपना हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 मांगु खां को विक्रय कर दिया है इसी प्रकार पूर्व के खातेदार हर लाल ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां को विक्रय कर दिया प्रतिवादी नं0 7 कैलाश पिता हर लाल व प्रतिवादी नं0 8 नारायणी बेवा हर लाल के वारीस है लेकिन इनका विवादित आराजीयात में हिस्सा नहीं है क्योंकि इनके पिता व पति संयुक्त खातेदार हर लाल ने अपना पुरा हिस्सा प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां को विक्रय कर दिया इसलिये उक्त वर्णित सभी वर्तमान खातेदार प्रतिवादीगण के नाम पर पुरी आराजी गलत अंकित हो गई है इसमें वादीगण के पिता घीसा का भी 1/2 हिस्सा शामिल है।

5. यह कि विवादीत आराजीयात पर सम्वत् 2012 से ही 1/2 हिस्से के खातेदार घीसा गुजर काश्त करते थे उनके मरने के बाद वादीगण मृतक घीसा के उत्तराधिकारी काश्त करते आ रहे है।

6. यह कि गत पैमायस के रेवेन्यु रेकार्ड के मुकाबले वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में गत खसरा नम्बर 1247 रकबा 12 बिघा 9 बिस्वा का वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड इस चालु पैमायश में पैमायश के कर्मचारियों की गलती से गलत अंकन बना है। प्रतिवादीगण नं0 1 से लगायत 5 का हिस्सा 1/3 गलत अंकित हुआ जबकि 1/6 अंकन होना चाहिऐ इसी प्रकार मांगु खां पिता हसन खां ने प्रतिवादी नं0 6 ने पूर्व के खातेदार मथरा से उसका 1/6 हिस्सा था जिसको खरीद किया है इसलिये मांगु खां प्रतिवादी नं0 6 का 1/3 हिस्सा गलत अंकन हुआ है, सही हिस्सा 1/6 अंकन होना चाहिये इसी प्रकार पूर्व के संयुक्त खातेदार हर लाल ने अपना सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 9 रमजु को विक्रय कर दिया। इसलिये रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां का 1/6 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिये। इसी प्रकार हर लाल के वारीसान प्रतिवादी नं0 7 कैलाश व प्रतिवादी नं0 8 नारायणी का कोई हिस्सा शेष नहीं है। उनका जमाबन्दी में इनका 1/6 हिस्सा गलत अंकित है उसको हटाना आवश्यक है उक्त सभी विस्तृत से यह सिद्ध होता है कि वादीगण का विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा है व कब्जा भी 1/2 हिस्से पर है इसलिये पत्रावली पर वादीगण ने सम्वत् 2068 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है तथा गत पैमायस की जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 की प्रस्तुत की है जिसमें विवादीत आराजीयात शंकर मथुरा हरलाल पिता देवा तथा घीसा पिता सवाईराम गुजर संयुक्त खातेदार अंकित है शंकर मथुरा हरलाल जो देवा के पुत्र है उनका 1/2 हिस्सा है व घीसा पिता सवाईराम गुजर दुसरा व्यक्ति है उसका हिस्सा 1/2 हिस्सा है कब्जा भी घीसा का 1/2 हिस्से पर सम्वत् 2012 से चला आ रहा है तथा मिलान शीट की प्रमाणित प्रतिलिपी भी पेश की है तथा तीनों रेवेन्यु दस्तावेजों को पत्रावली पर वादी से प्रदर्शित भी कराये है उक्त सभी विवरणों से यह घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है कि आराजीयात जैरबहस में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा वादीगण को 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। इसी अनुसार चालु जमाबन्दी में अंकन फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण नं0 1 से 5 का 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी नं0 6 मांगु खां [illegible] 1/6 [illegible] संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 9 रमजु खां का भी [illegible] 6 [illegible]से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 7 प्रतिवादी नं0 8 [illegible] का रेवेन्यु रेकार्ड में 1/6 हिस्से की संयुक्त खातेदारी गलत अंकित है [illegible] चालु जमाबन्दी में से हटाया जाना आवश्यक है इसलिये वादीगण की प्रार्थना [illegible] कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावें कि विवादीत आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:55 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाके मौजा दोवनी तहसील कपासन के हल्के बैरूनी की जो वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित की गई है के वादीगण 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 1 से 5, 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं0 6 मांगु खां भी 1/6 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी नं0 7 व 8 का नाम चालु जमाबन्दी में से व रेवेन्यु रेकार्ड में हटाया जावें। इसी प्रकार चालु जमाबन्दी में वादीगण के नाम 1/2 हिस्सें की संयुक्त खातेदारी से अंकित फरमाया जावें तथा शेष प्रतिवादीगण का नाम उक्त वर्णन अनुसार संयुक्त खातेदारी से अंकन फरमाया जावें।

7. यह कि आराजीयात जैरबहस पर वादीगण का 1/2 हिस्से पर संयुक्त कब्जा है तथा शेष प्रतिवादीगण का बकाया हिस्से पर संयुक्त कब्जा है लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण का 1/2 संयुक्त कब्जा हटाने पर आमादा है तथा संयुक्त कब्जे काश्त में विवाद करते है दिनांक 01/05/2013 को भी मौके पर विवाद किया तथा विवादीत आराजीयात को हस्तान्तरित करने की भी धमकी दी इसलिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है नही तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसे रूपयों में पुरा नहीं किया जा सकेगा व वादीगण को ऐसी क्षति होगी जिसे रूपयों में पुरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जावें।

8. अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाने की कृपा कराया जावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र व इकबालिया जवाब दावे व लिखित बहस का अवलोकन किया। साबिक जमाबन्दी संवत् 2038–2041 के खाता संख्या 1247 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा शंकर, मथुरा, हरलाल पिता देवा, घीसा पिता सवाईराम सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–3 मिलान शीट के अवलोकन से साबिक आराजी संख्या 1247 से हाल आराजी संख्या 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 कुल किता 7 कुल रकबा 2.69 है0 बने है। हाल जमाबन्दी संवंत् 2068–2071 में घीसा पिता सवाईराम व उनके वारिसान का नाम अंकित नहीं है। प्रतिवादी सं0 4 जो मृत्तक शंकर के वारिस है द्वारा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि वादीगण घीसा के वारिसान है, और उनका नाम उपरोक्त वर्णित आराजीयात में अंकित नही है। अतः दाद अनुसार डिक्री जारी किये जाने में सहमति प्रकट की है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा दोवनी पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन की आराजी सं0 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 कुल किता 7 कुल रकबा 2.69 है0 में वादीगण का 1/2, मृत्तक शंकर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/6, मांगू खां पिता हसन खां जाति पिनारा 1/6, रमजु खां पुत्र हसन खां जाति पिनारा 1/6 के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 18:04:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official